न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : – राकेश कुमार गुप्ता (R.A.S.)
राजस्व प्रकरण संख्या : – 20/2017

उनवान

1. हरिसिंह पुत्र चन्दा
2. रेवता पुत्र चन्द्रा
3. कैलाश पुत्र चन्द्रा
4. रूकमा पुत्री चन्द्रा
5. मंगनी पुत्री चन्द्रा
6. भागू सिंह पुत्र अन्ना सिंह
7. आसू सिंह पुत्र अन्ना
8. पीथा सिंह पुत्र अन्ना सिंह जाति रावत नि0 अन्सरी, नसीराबाद

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. छोटी पत्नि कालू,
2. सुवा,
3. हाकम,
4. रफीक पुत्र कालू,
5. अवनी पुत्री कालू समस्त जाति मेहरात नि0 अन्सरी, नसीराबाद
6. उप पंजीयन अधिकारी तहसील नसीराबाद,
7. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 1 से 5 अनुपस्थित
6 व 7 जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955 सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 15.5.21

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि वादीगण की कयशुदा आराजी ग्राम अंसरी प0म0 भीमपुरा में स्थित है जिसका वर्णन निम्न प्रकार है :–

चौसाला ख0न0	वंर्किग ख0न0	[illegible]	[illegible]	रकबा
457	566 मिन	1–1–0	[illegible]98	0.17
			599	0.02
498	566 मिन	[illegible]	[illegible]411	0.05
	605	[illegible]		0.19

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 16:59:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

उपरोक्त आराजी वंर्किग खसरा नम्बर 566/1 रकबा 1–7–0 व 566/2 रकबा 0–3–0 कुल रकबा 1–10–0 व वंर्किग खसरा नम्बर 605 रकबा 1–3–10 भूमि के खातेदार अज्जा पुत्र उर्जा द्वारा दिनांक 07.04.1979 को जरियें विकय पत्र उक्त भूमि का बैचान चन्द्रा, भागू, आसू, पीथा पुत्र अन्ना सिंह को कर कब्जा व दखल सौप दिया था। विकता की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 5 है। केता के वासि व कता वादीगण संख्या 1 से 8 है। वादी गण द्वारा कयशुदा आराजी के हाल खसरा नम्बर 598 रकबा 0.17, 599 रकबा 0.02, 599/141 रकबा 0.05 व 600 रकबा 0.19 बने है। उक्त हाल खसरा नम्बर विकय पत्र की पालना में वादीगण के नाम दर्ज करने के बजाय बंदोबस्त विभाग ने हाल खसरा नम्बर 598 रकबा 0.17, 599/141 रकबा 0.05 व 600 रकबा 0.19 को विधि विरूद्व तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज कर दिया जबकि वादीगण खरीद दिनांक से ही उक्त आराजी पर काबिज काश्त है। हाल राजस्व अभिलेख में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर वादीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है। व अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 प्रकरण मे अनुपस्थित रहे। प्रतिवादी संख्या 6 व 7 ने जवाब पेश किया।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादग्रस्त आराजी वादीगण की विधिक कयशुदा है ?
 –– वादी
2. आया वादी वादग्रस्त आराजी त्रुटिपूर्ण होने से खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है ?
 –– वादी
3. आया वादी विरूद्व प्रतिवादी स्थायी निषेघाज्ञा प्राप्ति का अधिकारी है ?
 –– वादी
4. आया वादग्रस्त आराजी विकय पत्र दिनांक 16.4.1979 अनुसार विकेता व केता के नाम दर्ज होने से वाद खारिज योग्य है ?
 –– प्रतिवादी
5. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में प्रदर्श राजस्व अभिलेख व विकय पत्र पेश किये तथा बयान नही दर्ज करवाना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 :–

ग्राम अंसरी के वंर्किग 566 रकबा 1–10–0 व 605 रकबा 1–3–10 के साथ अन्य तत्कालीन खातेदार अज्जा पुत्र उरजा ने वादीगण/पूर्वज को जरियें पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 07.4.1979 को बैचान किया था। वंर्किग जमा... खसरा नम्बर 605 रकबा 1–3–10 व 566/2 रकबा 0–3–0 विकेता की खातेदारी में ... है तथा वंर्किग खसरा नम्बर 566/1 रकबा 1–7–0 सिवायचक खाते से विकेता के नाम खाते... दर्ज हुआ है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वंर्किग खसरा नम्बर वंर्किग खसरा नम्बर 566 व 605 विकेता के नाम के नाम दर्ज थे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 16:59:17 IST
Reason: SelfAttested

––3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या 1 से 5 प्रकरण में अनुपस्थित रहे है तथा राज0 पैरोकार ने वाद का ठोस खण्डन पेश नही किया है। वादीगण/पूर्वज द्वारा उक्त आराजी जरियें पंजीकृत विकय पत्र कय की है। अतः आराजी मुतनाजा वादी के पिता की विधिक कयशुदा है तनकी बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :–

तनकी संख्या 1 के विवेचन अनुसार आराजी मुतनाजा वादीगण/पूर्वज की विधिक कयशुदा है। उक्त विकय पत्र की पालना में हाल खसरा नम्बर 600 रकबा 0.19 व 599 रकबा 0.02 वादीगण के नाम हाल राजस्व अभिलेख में दर्ज कर दिया कितु कय की गयी अन्य आराजी हाल खसरा नम्बर 598 रकबा 0.17 व 599/1411 रकबा 0.05 वादीगण अथवा केतागण के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दिया। वंर्किग खसरा नम्बर 566/1 रकबा 1–7–0 विकय पत्र की दिनांक 07.04.1979 को विकेता की खातेदारी में नही थी। किन्तु विकय के बाद उक्त आराजी पर विकेता को खतेदारी अधिकार प्रापत हो गये थे। तथा आज दिनांक को उक्त आराजी विकेता के वारिसान के नाम खातेदारी दर्ज है। विकेता अज्जा पुत्र उरजा ने उक्त आराजी सम्पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर विकय की है। विकय की गयी शेष आराजी का नामान्तकरण उसके पक्ष में हो चुका है। सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 43 के अनुसार "जहां कि कोई व्यक्ति कपटपूर्वक या, भूलवश यह व्यपदेश करता है कि वह अमुक स्थावर सम्पत्ति को अन्तरित करने के लिए प्राधिकृत है और ऐसी सम्पत्ति को प्रतिफलार्थ अन्तरित करने की प्रव्यंजना करता है वहां ऐसा अन्तरण अन्तरिती के विकल्प पर किसी भी उस हित पर प्रवृत्त होगा जिसे अन्तरक ऐसी सम्पत्ति में उतने समय के दौरान कभी भी अर्जित करे जितने समय तक उस अन्तरण की संविदा अस्तित्व में रहती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आराजी मुतनाजा पर विकेता को बाद में खातेदारी प्राप्त होने से उसके द्वारा किया गया विकय वैध है। तथा वादीगण वर्तमान त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरूस्त करने का अधिकारी है। तनकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3 :–

उपरोक्त तनकियात के विवेचन के अनुसार वादग्रस्त आराजी वादीगण/पूर्वज की विधिक कयशुदा है। आराजी मुतनाजा पर वादीगण इन्द्राज दुरूस्ती के अधिकारी है। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। प्रतिवादीगण उक्त आराजी का बैचान अन्यत्र करते है अथवा वादीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी करते है तो वादीगण के हितों पर विपरित प्रभाव पडेगा तथा वादीगण को अपुरणीय क्षति भी होगी। अतः वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति के अधिकारी है।

तनकी संख्या 4 :–

आराजी मुतनाजा वादी/पूर्वज की विधिक कयशुदा है। पूर्व तनकी के विवेचन अनुसार वादीगण हाल इन्द्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। राज0 पैरोकार ने वाद के खण्डन हेतु कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही किये है। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। अतः तनकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम अंसरी के हाल खसरा नम्बर हाल खसरा नम्बर 598 रकबा 0.17 व 599/1411 रकबा 0.05 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादीगण उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी के विरूद्व जरियें स्थायी निषेधाज्ञा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 16:59:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

पाबंद किया जाता है कि उक्त आराजी पर वादीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी नही करे, भूमि का विकय नही करे। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 16:59:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner